अशोक कुमार

बनाम

एन.सी.टी. दिल्ली राज्य

12 जून, 2007

(न्यायाधिपतिगण डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर)

साक्ष्य अधनियम, 1872- धारा 113 बी के तहत उपधारणा, विवाह के 7 वर्षों के भीतर होने वाली मृत्यु से संबंधित है- तथ्यों पर, विवाह पत्नी की मृत्यु से 10 साल से अधिक समय पहले किया गया था- इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करने का आदेश संधारणीय नहीं है- दण्ड संहिता, 1860- धारा 304 बी और 498 ए।

वर्तमान अपील अभियुक्त-पति द्वारा धारा 498 ए और 304 बी भा०द०सं० के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। सह-अभियुक्त व्यक्तियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया क्योंकि सबूत आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अभियुक्त-अपीलार्थी पर यह दिखाने का अतिरिक्त भार डाला गया है कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई

थी। ऐसे मामलों में उपधारणा विवाह के सात वर्षों के भीतर मृत्यु होने से संबंधित है। स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान मामले में विवाह घटना की तारीख से 10 साल से अधिक समय पहले संपन्न किया गया था। यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय का आदेश संधारणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है। (999-ए,बी,सी)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं० 552/2002

1997 की आपराधिक अपील संख्या 414 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 15-10-2001 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से अनु मोहला।

प्रत्यर्थी की ओर से अशोक भान, एस. वसीम ए. कादरी और डी.एस. माहरा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा विद्वान

अधिवक्ता प्रत्यर्थी-राज्य को सुनने के उपरान्त निम्नानुसार दिया गयाः-

हम पाते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सह-अभियुक्ताओंको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था क्योंकि आरोप को साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे। अभियुक्त-अपीलार्थी पर यह दिखाने का भार अतिरिक्त डाला

गया है कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी। एेसे मामलों में उपधारणा विवाह के सात साल के भीतर होने वाली मृत्यु से संबंधित है। स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान मामले में विवाह घटना की तारीख से 10 साल से अधिक समय पहले सम्पन्न किया गया था। यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय का आदेश संधारणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है। दिनांकित 15-07-2002 आदेश के संदर्भ में जमानत के उद्देश्य से निष्पादित अभियुक्तों के बंधपत्र-जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

अपील की अनुमति दी जाती है।

डी.जी.

अपील अनुमति।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नगेंद्र सिंह (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।